संख्या-3741 (1)/पन्द्रह (15)-41 (1)/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यव [illegible] त:-

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर [illegible]
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. शिक्षा (10) अनुभाग को परिनियमों में आवश्यक संशोधन, यदि वे आवश्यक समझें तो, हेतु।
5. शिक्षा (11) अनुभाग/वित्त (ई-11) अनुभाग।
6. कृषि अनुभाग-8/प्राविधिक शिक्षा-1

आज्ञा से,
के० डी० श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या : 2452/15-11-95-14 (10)/81

प्रेषक,

चन्द्रमा प्रसाद
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ० प्र०, इलाहाबाद।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 1996

विषय :- प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश सं०-5382/15-11-89-14 (10)/81, दिनांक 4-10-89 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों

के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों /सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिये जाने के प्रश्न पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को यू०जी०सी० द्वारा संस्तुत वेतनमान स्वीकृत किये जायें। अतः राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 से निम्नलिखित स्तम्भ-1 में उल्लिखित पदों पर कार्यरत पूर्णकालिक/ विधिवत नियुक्त नियमित पदधारकों को जो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हैं, को स्तम्भ-2 में उल्लिखित वेतनमान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये पदधारक शिक्षकों के लिये स्वीकृत मेरिट प्रमोशन योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

स्तम्भ 1 **पदनाम**	**स्तम्भ 2** **वेतनमान रु.**
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्टाफ	
1. पुस्तकालयाध्यक्ष	4500-150-5700-200-7300
2. उप पुस्तकालयाध्यक्ष	3700-125-4950-150-5700
3. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	2200-75-2800-100-4000
<u>महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष</u>	
सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष	2200-75-2800-100-4000

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो पदधारक यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित परिशिष्ट 'क' पर उल्लिखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उन्हें वही वेतनमान देय होगा जो राज्य सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 से समता समिति की संस्तुति पर स्वीकृत किये हैं। महाविद्यालयों के केवल पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्बन्ध में ही यू०जी०सी० वेतनमान लागू होंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्टाफ तथा महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर भविष्य में की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में जो अद्यतन अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गयी हैं, का उल्लेख परिशिष्ट 'ख' पर किया गया है। यह अर्हतायें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त उपर्युक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू होंगी।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालयों के ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष जो रु. 2350-4300 के वेतनमान में कार्यरत हैं उनके लिये वह वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में उनकी सेवावधि तक अनुमन्य रहेगा।

5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन के साथ सम्बन्धित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जिन दरों पर उक्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के साथ अनुमन्य है।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान पदधारकों को यह विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा कि या तो वे अपना वर्तमान वेतनमान बनाये रखें अथवा एतद्द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अथवा उसके बाद में वर्तमान वेतनमान में पड़ने वाली आगामी वेतनवृद्धि से चुन लें। प्रत्येक कर्मचारी को इस सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकार का विकल्प इस राजाज्ञा के जारी होने की तिथि से 90 (नब्बे) दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त अवधि के अन्दर विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने पुनरीक्षित वेतनमान चुन लिया है। एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प पुनः बदला नहीं जायेगा।

7. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस राजाज्ञा के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त शासकीय तथा अशासकीय

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अर्हताओं के आधार पर क्रमशः लोक सेवा आयोग तथा उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा चयनित एवम् संस्तुत अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

8. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०, इलाहाबाद इस शासनादेश को सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को तुरन्त प्रेषित करेंगे।

9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : ई-11/472/दस-1996 दिनांक 9 फरवरी, 1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्रमा प्रसाद
विशेष सचिव

संख्या : 2452/15-11-95-14 (10)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, (आडिट) प्रथम, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
6. सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
7. सम्बन्धित कालेजों के प्राचार्य/प्राचार्या (शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से)।
8. सचिवालय का शिक्षा अनु०- 10, 15, 17 व 19
9. सचिवालय का वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग (3 प्रतियाँ)
10. सचिवालय का वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
11. लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
12. उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
13. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
चन्द्रमा प्रसाद
विशेष सचिव।

परिशिष्ट ''क''

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय स्टाफ के वर्तमान पद धारकों के लिये परिपत्र दिनांक-15 दिसम्बर, 1982 द्वारा निर्धारित अर्हतायें:–

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्टाफ	
1. पुस्तकालयाध्यक्ष वेतनमान (पुनरीक्षित रु. 4500-7300) 1-1-86	1. प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी में एम०ए० / एम०एस-सी० /एम० काम० तथा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में पुस्तकालय विज्ञान में बी० लिब० अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। एम० लिब० डिग्री धारकों को अधिमानता। 2. कम से कम पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 10 वर्ष का अनुभव अथवा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में महत्वपूर्ण प्रोफेशनल पद पर 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव। 3. उत्तम शैक्षिक अर्हतायें तथा शोध कार्य का अनुभव (प्रकाशित पेपर्स सहित) सामान्यतया अर्हतायें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तुल्य होनी चाहिये।
2. उप पुस्तकालयाध्यक्ष वेतनमान (पुनरीक्षित रु. 3700-5700) 1-1-86	1. प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी में एम०ए०/एम०एस-सी०/एम० काम० तथा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में पुस्तकालय विज्ञान में बी०लिब० अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। एम०लिब० डिग्री धारकों को अधिमानता। 2. पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अथवा पुस्तकालय में किसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल पद पर कार्य करने का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव। 3. उत्तम शैक्षिक अर्हतायें तथा शोध कार्य का अनुभव (प्रकाशित पेपर्स सहित) सामान्यतः अर्हतायें विश्वविद्यालय के रीडर के तुल्य होनी चाहिए।
3. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष वेतनमान (पुनरीक्षित रु. 2200-4000) 1-1-86	1. प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०काम० उपाधि के साथ प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में एम०लिब० डिग्री। या प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में एम०ए०/एम०एस-सी०/एम०काम० उपाधि एवं प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में बी०लिब० डिग्री या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

परिशिष्ट 'ख'

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र दिनांक-20 फरवरी, 1990 द्वारा पुस्तकालय स्टाफ की भविष्य में की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में:-

1. पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) वेतनमान रु. 4500-7300	1. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण में स्नातकोत्तर उपाधि कम से कम 55% प्राप्तांकों सहित अथवा समकक्ष श्रेणी और अविछिन्न उत्तम शैक्षिक उपलब्धि। 2. सूचना प्रौद्योगिकी/अभिलेखागार एवं पाण्डुलिपि अनुरक्षण में एक वर्ष का विशिष्टीकरण अथवा संस्था के विशिष्टीकरण क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 3. किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कम से कम 10 वर्ष का उप पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अनुभव अथवा 15 वर्ष का महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अनुभव। 4. पुस्तकालय सेवा एवं संगठन के अभिनवीकरण तथा प्रकाशित कार्य का साक्ष्य। **वांछनीय :** पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण /अभिलेखागार एवं पाण्डुलिपि अनुरक्षण में एम०फिल०/पी-एच०डी० उपाधि।
2. उप पुस्तकालयाध्यक्ष वेतनमान रु. 3700-5700	1. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण में कम से कम 55% प्राप्तांकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष श्रेणी और अविछिन्न उत्तम शैक्षिक उपलब्धि। 2. सूचना प्रौद्योगिकी/अभिलेखागार एवं पाण्डुलिपि अनुरक्षण क्षेत्र में एक वर्ष का विशिष्टीकरण अथवा संस्था के विशिष्टीकरण क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 3. किसी विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 8 वर्ष का अनुभव। 4. पुस्तकालय सेवा, प्रकाशित कार्य एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में साक्ष्य । **वांछनीय :** पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण/अभिलेखागार एवं पाण्डुलिपि अनुरक्षण में एम०फिल०/पी-एच०डी० उपाधि।
3. सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष वेतनमान रु. 2200-4000	1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि कम से कम 55% प्राप्तांकों सहित या समकक्ष श्रेणी और अविछिन्न उत्तम शैक्षिक उपलब्धि। अथवा कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा समकक्ष उपाधि, कम से कम 55% प्राप्तांकों सहित अथवा समकक्ष श्रेणी एवं पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/अभिलेखीकरण में स्नातक उपाधि या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री, कम से कम 55% प्राप्तांकों सहित या समकक्ष श्रेणी तथा अविच्छिन्न उत्तम शैक्षिक उपलब्धि।

व वेतनमान दिये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान कर दी है, ... हो जायेंगे। ... प्रवक्ताओं के साथ सेवानिवृत्ति के पश्चात इन प्रवक्ताओं द्वारा धारित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। ... इन्स्ट्रक्टर्स के पदनाम तथा वेतनमान के परिवर्तन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के अन्य प्रवक्ताओं के साथ उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. प्रवक्ता पदनाम तथा वेतनमान इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से अनुमन्य होंगे।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई-11/3144/दस-1988, दिनांक 14-10-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारीकिये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0 डी0 तिवारी

विशेष कार्याधिकारी

संख्या-3560(1)/70-4/98-2(9)/96 तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार आडिट (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- वित्त ई-11 अनुभाग।

आज्ञा से,

एस0 डी0 तिवारी

विशेष कार्याधिकारी

संख्या-3006/सत्तर-2-98-(4)101/81

प्रेषक,

प्रोमिला शंकर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

लखनऊ : **दिनांक** : 26, दिसम्बर, 1998

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय : प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों, उप पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों/उप-पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान अनुमनय किया जाना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2452/15-11-95-14(10)/81, दिनांक 29-2-96 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप-पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान 01 जनवरी, 1986 से निम्नलिखित स्तम्भ-1 में उल्लिखित पदों पर कार्यरत पदधारकों को उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में उल्लिखित वेतनमान 29-2-96 के शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में अंकित यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूरा करने वाले पूर्णकालिक/विधिवत नियुक्त नियमित पदधारकों को स्वीकृत किये गये थे :-

स्तम्भ-1 पदनाम वेतनमान स्टाफ	स्तम्भ-2
1. पुस्तकालयाध्यक्ष	₹ 4500-150-5700-200-7300
2. उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	₹ 3700-125-4050-150-5700
3. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	₹ 2200-75-2800-100-4000

महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष

सम्बद्ध/सम्बद्ध/संघटक शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष	₹ 2200-75-2800-100-4000

2. अशासकीय महाविद्यालयों में वेतनमान ₹ 2200-3200 में कार्यरत एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए यू0जी0सी0 द्वारा विहित की गयी अर्हता रखने वाले उप-पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा विगत काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पद की विहित अर्हता रखने एवं पूर्व में वेतनमान समान होने के आधार पर उन्हें भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान ₹ 2200-4000 दिया जाये। राज्य सरकार ने इस पर सम्यक् विचारोपरान्त वेतनमान ₹ 2000-3200 के उप-पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालयाध्यक्ष का पदनाम देने और इस पदनाम के फलस्वरूप यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत 2200-4000 का वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया है। अतएव प्रश्नगत 29-2-96 के शासनादेश में आंशिक संशोधन के तदनतर्गत विहित शर्तों व प्रतिबन्धों पर श्री राज्यपाल अशासकीय महाविद्यालयों में ₹ 2000-3200 के वेतनमान में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर वर्तमान में कार्यरत/पूर्णकालिक/नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों जो उसके (29-2-96 के शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में निर्दिष्ट यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं, को भी ₹ 2200-4000 का वेतनमान सहर्ष स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं।
3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार अशासकीय महाविद्यालयों में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर वर्तमान में कार्यरत् कर्मचारियों को पुस्तकालयाध्यक्ष पदनाम स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे और साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष का एक से अधिक पद हो जाने पर कालान्तर में सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से इनके रिक्त होने पर अन्ततः पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद को छोड़कर शेष पद भी स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।
4. उपरोक्त सुविधा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या : यू0ओ0-3249/दस-1998, दिनांक 02 नवम्बर, 1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

प्रौमिला शंकर

सचिव।

संख्या-3006(1)/सत्तर-2-98-(4)101/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित कालेजों के प्राचार्य/प्राचार्या (निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से)।
8. उच्च शिक्षा सचिव के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
11. सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 10-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
12. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

शंकर दत्त तिवारी

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-1727/70-5-99-70(37)/96

प्रेषक,

ए0 एन0 सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा-5

लखनऊ : **दिनांक** : 02 दिसम्बर, 19..

विषय : समता समिति उ0प्र0 1989 की संस्तुतियों पर लिया जाने ...